सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जयपुर

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत : बीलवाडी, कैम्प दिनांक 24.05.2018

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 75/2016 दायर तारीख 04.08.2016

1. संतोष कंवर पत्नी बद्री सिंह जाती राजपूत निवासी धोबियावाली, तहसील विराटनगर, जयपुर

__बनाम__

1. पप्पू सिंह पुत्र फूलसिंह जाती राजपूत निवासी धोबियावाली तहसील विराटनगर
2. सुशीला देवी पुत्री फूलसिंह पत्नी महेशसिंह } निवासी वार्ड नं. 6
3. हीरा देवी पुत्री फूलसिंह पत्नी गिर्राजसिंह } नारायणपुर (थानागाजी)
4. मीना पुत्र फूलसिंह पत्नी हनुमान सिंह पुत्र भंवर सिंह जाती राजपूत निवासी बनियों का बास उर्फ देवीपुरा तहसील विराटनगर
5. मंजू उर्फ राजू पुत्री फूलसिंह पत्नी सज्जनसिंह पुत्र गिरधारी सिंह जाती राजपूत निवासी रोयल वाया खण्डेला तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
7. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय तहसील विराटनगर, जयपुर

__–– प्रतिवादीगण__

__दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा__

उपस्थित :– श्री आनन्द सिंह शेखावत, अधिवक्ता वादीया
एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5
पैरोकार सरकार

__निर्णय__

__निर्णय दिनांक :– 24.05.2018__

1. वादीया ने वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम धोबियावाली के खसरा नम्बर 1/0.69, 2/0.33, 3/0.35, 5/0.62, 6/0.70, 8/0.05, 9/0.21, 10/0.25, 11/0.20, 12/0.52, 12/610/0.47, 13/0.07, 14/0.05, 15/0.08, 16/0.06, 17/0.19, 18/0.19, 19/0.18, 20/0.33, 21/0.34, 22/0.34, 23/0.63, 24/0.67, 25/0.27,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26/0.28, 27/0.36, 28/0.35, 29/0.12, 30/0.29, 31/0.11, 48/0.10, 49/0.11, 309/0.17, 310/0.16, 313/0.28, 314/0.22, 315/0.11 हैक्टेयर कुल किता 38 कुल रकबा 11.12 हैक्टेयर में हिस्सा 9/560 की खातेदारी प्रतिवादीगण को फूलसिंह पुत्र साधूसिंह से विरासत में प्राप्त होकर नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी किता 38 रकबा 11.12 हैक्टेयर में फूलसिंह का हिस्सा 1/24 दर्ज रिकार्ड रहा है, जिसमे से फूलसिंह ने अपना हिस्सा 2/5 दर हिस्सा 1/24 जिसका हिस्सा 1/60 यानी रकबा 0.1853 हैक्टेयर का बेचान महेन्द्र सिंह पुत्र छींतरसिंह को जरिए विक्रय पत्र दिनांक 27.11.2003 को किया, उक्त बेचान के बाद फूलसिंह के खाते में 3/5 दर हिस्सा 1/24 यानी हिस्सा 1/40 भूमि शेष बचती थी, जिसमें से खातेदार फूलसिंह ने 0.0975 हैक्टेयर भूमि का बेचान चौथूसिंह, मुंशीसिंह पुत्रान सुरजा को जरिए विक्रय पत्र दिनांक 19.05.2006 को किया था। उसी दिन दिनांक 19.05.2006 को खातेदार फूलसिंह ने अपनी खातेदारी भूमि हिस्सा 1/40 मे से 0.1175 हैक्टेयर भूमि यानी हिस्सा 141/556 का बेचान वादीया को किया है। वादीया भूमि खरीद के दिनांक 19.05.2006 से ही अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज काश्त है। खातेदार फूलसिंह ने महेन्द्र सिंह को अपने हिस्सा 1/24 मे से हिस्सा 2/5 जिसका हिस्सा 1/60 होता है का एवं अन्य खातेदार शिम्भू, पप्पू पिता सोहन सिंह ने अपने हिस्सा 2/3 दर हिस्सा 1/2 जिसका हिस्सा 1/36 होता है मे से हिस्सा 2/5 यानी हिस्सा 1/90 का बेचान किया था, इस प्रकार क्रेता महेन्द्र सिंह ने फूलसिंह का हिस्सा 1/60 व पप्पू, शिम्भू का हिस्सा 1/90 कुल हिस्सा 1/36 खरीदा था, जिसके बजाय राजस्व कर्मचारियों ने क्रेता महेन्द्रसिंह के नाम रजिस्ट्री से नामान्तकरण खोलते समय क्रेतागण के सम्पूर्ण हिस्से 5/72 का खाता खोल दिया, जिसमें विक्रेता फूलसिंह व शिम्भू, पप्पू के खाते में उनकी शेष रही भूमि का इन्द्राज भी महेन्द्र सिंह के नाम दर्ज कर दिया जो नामान्तकरण संख्या 166 दिनांक 04.07.2004 जमाबन्दी संवत् 2059 दर्ज रिकार्ड है। वादीया व अन्य खरीददार चौथूसिंह, मुंशीसिंह वगैरह द्वारा खरीदी गई जमीन का खाता महेन्द्र सिंह के नाम बेचान कर्ता की सम्पूर्ण भूमि का रिकार्ड दर्ज हो जाने से नहीं खुल सका, जिसकी जानकारी होने पर चौथूसिंह, मुंशीसिंह ने न्यायालय में रिकार्ड दुरूस्ती का दावा चौथूसिंह बनाम महेन्द्रसिंह वगैरह मुकदमा नम्बर 158/2013 पेश किया, जिसका निर्णय दिनांक 10.11.2015 को होने पर रिकार्ड दुरूस्ती किये जाने से विक्रेता फूलसिंह के फौत होने से उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1

सत्यमेव Web Copy Not Official

लगायत 5 के नाम नामान्तकरण संख्या 534 दिनांक 29.03.2016 को खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई है। चौथूसिंह, मुंशीसिंह द्वारा खरीदी गई भूमि का हिस्सा 1/112 एवं फूलसिंह के शेष रहे हिस्सा को हिस्सा 9/560 दर्ज किया गया है। फूलसिंह के वारिसों के हक में दर्ज हिस्सा 9/560 की भूमि जिसका रकबा 0.1787 यानी 0.18 हैक्टेयर होता है, मे से वादीया को बेचान किये गये रकबा 0.1175 हैक्टेयर शामिल है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज हिस्सा 9/560 मे वादीया का हिस्सा 6/560 एवं प्रतिवादी का हिस्सा 3/560 होता है, क्योंकि फूलसिंह की 0.18 हैक्टेयर भूमि मे से वादीया की 0.1175 हैक्टेयर भूमि बेचने के बाद 0.0612 हैक्टेयर भूमि ही शेष बचती है, जिसके अनुसार भी वादीया का हिस्सा 6/560 एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा 3/560 ही बनता है।
वादीया द्वारा दिनांक 24.05.2016 के राजस्व अभियान ग्राम बीलवाडी में पटवारी हलका से सम्पर्क करने पर जानकारी हुई की चौथूसिंह वगैरह द्वारा दावा करने से रिकार्ड दुरूस्त होकर फूलसिंह के वारिसों के नाम खातेदारी दर्ज हो गयी, जिस पर वादीया ने प्रतिवादीगण से सम्पर्क कर अपनी खरीदशुदा भूमि का वादीया के हक में खाता खुलवाने के लिए कहा, परन्तु प्रतिवादीगण ने वादीया के हक में खाता खुलवाने से स्पष्ट मना कर दिया तथा आराजी को बेचान करने की धमकी दी है। अतः निवेदन है कि ग्राम धोबियावाली के खसरा नम्बर 1/0.69, 2/0.33, 3/0.35, 5/0.62, 6/0.70, 8/0.05, 9/0.21, 10/0.25, 11/0.20, 12/0.52, 12/610/0.47, 13/0.07, 14/0.05, 15/0.08, 16/0.06, 17/0.19, 18/0.19, 19/0.18, 20/0.33, 21/0.34, 22/0.34, 23/0.63, 24/0.67, 25/0.27, 26/0.28, 27/0.36, 28/0.35, 29/0.12, 30/0.29, 31/0.11, 48/0.10, 49/0.11, 309/0.17, 310/0.16, 313/0.28, 314/0.22, 315/0.11 हैक्टेयर कुल किता 38 कुल रकबा 11.12 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज हिस्सा 9/560 मे से वादीया को प्रतिवादी के बुजुर्ग फूलसिंह के द्वारा करवायी गयी रजिस्ट्री दिनांक 19.05.2006 के आधार पर हिस्सा 6/560 का एवं प्रतिवादीगण को हिस्सा 3/560 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीया के हक हिस्से की भूमि में बेजा दखल नहीं करें, वादीया को शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवें।

Web Copy - Not Official

2. वादपत्र बाद जांच दर्ज पंजीका कर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित रहे, एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित हुए।
3. वादीया ने अपने वादपत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 35 संवत् 2059–2062, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 55 संवत् 2063–2066, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 39 संवत् 2067–2070, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 41 संवत् 2071–2074, फोटोप्रति नकल निर्णय दिनांक 10.11.2015 मुकदमा नम्बर 158/2013 उनवानी चौथूसिंह वगैरह बनाम महेन्द्रसिंह वगैरह, फोटोप्रति विक्रय पत्र दिनांक 19.05.2006 बहक वादीया आदि पेश किये।
4. पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट बीलवाडी में वास्ते पेश हुई। उपस्थित अधिवक्ता वादीया को मजमे आम सुना गया। पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस विद्वान अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम धोबियावाली के खसरा नम्बर 1/0.69, 2/0.33, 3/0.35, 5/0.62, 6/0.70, 8/0.05, 9/0.21, 10/0.25, 11/0.20, 12/0.52, 12/610/0.47, 13/0.07, 14/0.05, 15/0.08, 16/0.06, 17/0.19, 18/0.19, 19/0.18, 20/0.33, 21/0.34, 22/0.34, 23/0.63, 24/0.67, 25/0.27, 26/0.28, 27/0.36, 28/0.35, 29/0.12, 30/0.29, 31/0.11, 48/0.10, 49/0.11, 309/0.17, 310/0.16, 313/0.28, 314/0.22, 315/0.11 हैक्टेयर कुल किता 38 कुल रकबा 11.12 हैक्टेयर में हिस्सा 9/560 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को फूलसिंह पुत्र साधूसिंह से विरासत में प्राप्त होकर नाम दर्ज रिकार्ड है। पूर्व खातेदार फूलसिंह ने अपना हिस्सा 2/5 दर हिस्सा 1/24 जिसका हिस्सा 1/60 यानी रकबा 0.1853 हैक्टेयर का बेचान महेन्द्र सिंह पुत्र छींतरसिंह को जरिए विक्रय पत्र दिनांक 27.11.2003 को किया, उक्त बेचान के बाद फूलसिंह के खाते में 3/5 दर हिस्सा 1/24 यानी हिस्सा 1/40 भूमि शेष बचती थी, जिसमें से खातेदार फूलसिंह ने 0.0975 हैक्टेयर भूमि का बेचान चौथूसिंह, मुंशीसिंह पुत्रान सुरजा को जरिए विक्रय पत्र दिनांक 19.05.2006 को किया था। उसी दिन दिनांक 19.05.2006 को खातेदार फूलसिंह ने अपनी खातेदारी भूमि हिस्सा 1/40 मे से 0.1175 हैक्टेयर भूमि यानी हिस्सा 141/556 का बेचान वादीया को किया है। वादीया भूमि खरीद के दिनांक 19.05.2006 से ही अपनी खरीदशुदा भूमि पर काबिज काश्त है। खातेदार फूलसिंह ने महेन्द्र सिंह को अपने हिस्सा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1/24 मे से हिस्सा 2/5 जिसका हिस्सा 1/60 होता है का एवं अन्य खातेदार शिम्भू, पप्पू पिता सोहन सिंह ने अपने हिस्सा 2/3 दर हिस्सा 1/2 जिसका हिस्सा 1/36 होता है मे से हिस्सा 2/5 यानी हिस्सा 1/90 का बेचान किया था, इस प्रकार क्रेता महेन्द्र सिंह ने फूलसिंह का हिस्सा 1/60 व पप्पू, शिम्भू का हिस्सा 1/90 कुल हिस्सा 1/36 खरीदा था, जिसके बजाय राजस्व कर्मचारियों ने क्रेता महेन्द्रसिंह के नाम रजिस्ट्री से नामान्तकरण खोलते समय क्रेतागण के सम्पूर्ण हिस्से 5/72 का खाता खोल दिया, जिसमें विक्रेता फूलसिंह व शिम्भू, पप्पू के खाते में उनकी शेष रही भूमि का इन्द्राज भी महेन्द्र सिंह के नाम दर्ज कर दिया जो नामान्तकरण संख्या 166 दिनांक 04.07.2004 जमाबन्दी संवत् 2059 दर्ज रिकार्ड है। वादीया व अन्य खरीददार चौथूसिंह, मुंशीसिंह वगैरह द्वारा खरीदी गई जमीन का खाता महेन्द्र सिंह के नाम बेचान कर्ता की सम्पूर्ण भूमि का रिकार्ड दर्ज हो जाने से नहीं खुल सका, जिसकी जानकारी होने पर चौथूसिंह, मुंशीसिंह ने न्यायालय में रिकार्ड दुरूस्ती का दावा चौथूसिंह बनाम महेन्द्रसिंह वगैरह मुकदमा नम्बर 158/2013 पेश किया, जिसका निर्णय दिनांक 10.11.2015 को होने पर रिकार्ड दुरूस्ती किये जाने से विक्रेता फूलसिंह के फौत होने से उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम नामान्तकरण संख्या 534 दिनांक 29.03.2016 को खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई है। चौथूसिंह, मुंशीसिंह द्वारा खरीदी गई भूमि का हिस्सा 1/112 एवं फूलसिंह के शेष रहे हिस्सा को हिस्सा 9/560 दर्ज किया गया है। फूलसिंह के वारिसों के हक में दर्ज हिस्सा 9/560 की भूमि जिसका रकबा 0.1787 यानी 0.18 हैक्टेयर होता है, मे से वादीया को बेचान किये गये रकबा 0.1175 हैक्टेयर शामिल है।

5. उपर्युक्त समस्त तथ्यो एवं वादपत्र के संलग्न दस्तावेजो के अवलोकन उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूॅ कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज हिस्सा 9/560 मे वादीया का हिस्सा 6/560 एवं प्रतिवादी का हिस्सा 3/560 होता है, क्योंकि फूलसिंह की 0.18 हैक्टेयर भूमि मे से वादीया की 0.1175 हैक्टेयर भूमि बेचने के बाद 0.0612 हैक्टेयर भूमि ही शेष बचती है, जिसके अनुसार भी वादीया का हिस्सा 6/560 एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा 3/560 ही बनता है।
6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीया को मुताबिक विक्रय पत्र दिनांक 19.05.2006 आराजी जेरबहस में हिस्सा 6/560 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायसंगत है।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

आदेश

वादीया का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि ग्राम धोबियावाली के खसरा नम्बर 1/0.69, 2/0.33, 3/0.35, 5/0.62, 6/0.70, 8/0.05, 9/0.21, 10/0.25, 11/0.20, 12/0.52, 12/610/0.47, 13/0.07, 14/0.05, 15/0.08, 16/0.06, 17/0.19, 18/0.19, 19/0.18, 20/0.33, 21/0.34, 22/0.34, 23/0.63, 24/0.67, 25/0.27, 26/0.28, 27/0.36, 28/0.35, 29/0.12, 30/0.29, 31/0.11, 48/0.10, 49/0.11, 309/0.17, 310/0.16, 313/0.28, 314/0.22, 315/0.11 हैक्टेयर कुल किता 38 कुल रकबा 11.12 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज हिस्सा 9/560 मे से वादीया को प्रतिवादी के बुजुर्ग फूलसिंह के द्वारा करवायी गयी रजिस्ट्री दिनांक 19.05.2006 के आधार पर हिस्सा 6/560 का एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को शेष रहे हिस्सा 3/560 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया के हक हिस्से की भूमि में बेजा दखल नहीं करें, वादीया को शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवें। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट बीलवाडी दिनांक 24.05.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री मुकदमा इबतदाई (ओ. 20 रूल 6 व 7 जा. दीवानी)

अज अदालत :– उपखण्ड अधिकारी मुकाम राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बीलवाडी

बइजलास :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

1. संतोष कंवर पत्नी बद्री सिंह जाती राजपूत निवासी धोबियावाली, तहसील विराटनगर, जयपुर

बनाम

1. पप्पू सिंह पुत्र फूलसिंह जाती राजपूत निवासी धोबियावाली तहसील विराटनगर
2. सुशीला देवी पुत्री फूलसिंह पत्नी महेशसिंह } निवासी वार्ड नं. 6
3. हीरा देवी पुत्री फूलसिंह पत्नी गिर्राजसिंह } नारायणपुर (थानागाजी)
4. मीना पुत्र फूलसिंह पत्नी हनुमान सिंह पुत्र भंवर सिंह जाती राजपूत निवासी बनियों का बास उर्फ देवीपुरा तहसील विराटनगर
5. मंजू उर्फ राजू पुत्री फूलसिंह पत्नी सज्जनसिंह पुत्र गिरधारी सिंह जाती राजपूत निवासी रोयल वाया खण्डेला तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर
7. उप पंजीयक, उप पंजीयन कार्यालय तहसील विराटनगर, जयपुर

—— प्रतिवादीगण

मुकद्मा नम्बर/नजरसानी संख्या 75/2016 **दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा** यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतैई रूबरू **श्री आनन्दसिंह शेखावत एडवोकेट** व हाजरी .... मिन जानिब मुद्दई रूबरू **एकपक्षीय कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 एवं पैरोकार सरकार** कार्यवाही मिन जानिब मुदामलह पेश होकर निवेदन किया कि ग्राम ग्राम धोबियावाली के आराजी मुतनाजा किता 38 कुल रकबा 11.12 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज हिस्सा 9/560 मे से वादीया को प्रतिवादी के बुजुर्ग फूलसिंह के द्वारा करवायी गयी रजिस्ट्री दिनांक 19.05.2006 के आधार पर हिस्सा 6/560 का एवं प्रतिवादीगण को हिस्सा 3/560 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराया जावे साथ प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीया के

हक हिस्से की भूमि में बेजा दखल नहीं करें, वादीया को शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवें।

Web Copy Not Official

कैम्प कोर्ट बीलवाडी में सुना गया। वादी का वाद दुरूस्ती इन्द्राज घोषणा खातेदारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज हिस्सा 9/560 मे वादीया का हिस्सा 6/560 एवं प्रतिवादी का हिस्सा 3/560 होता है, क्योंकि फूलसिंह की 0.18 हैक्टेयर भूमि मे से वादीया की 0.1175 हैक्टेयर भूमि बेचने के बाद 0.0612 हैक्टेयर भूमि ही शेष बचती है, जिसके अनुसार भी वादीया का हिस्सा 6/560 एवं प्रतिवादीगण का हिस्सा 3/560 ही बनता है।

अतः हुक्म दिया जाता है कि वादीया का वाद इस कदर डिक्री किया जाता है कि ग्राम धोबियावाली के खसरा नम्बर 1/0.69, 2/0.33, 3/0.35, 5/0.62, 6/0.70, 8/0.05, 9/0.21, 10/0.25, 11/0.20, 12/0.52, 12/610/0.47, 13/0.07, 14/0.05, 15/0.08, 16/0.06, 17/0.19, 18/0.19, 19/0.18, 20/0.33, 21/0.34, 22/0.34, 23/0.63, 24/0.67, 25/0.27, 26/0.28, 27/0.36, 28/0.35, 29/0.12, 30/0.29, 31/0.11, 48/0.10, 49/0.11, 309/0.17, 310/0.16, 313/0.28, 314/0.22, 315/0.11 हैक्टेयर कुल किता 38 कुल रकबा 11.12 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 के नाम दर्ज हिस्सा 9/560 मे से वादीया को प्रतिवादी के बुजुर्ग फूलसिंह के द्वारा करवायी गयी रजिस्ट्री दिनांक 19.05.2006 के आधार पर हिस्सा 6/560 का एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 को शेष रहे हिस्सा 3/560 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया के हक हिस्से की भूमि में बेजा दखल नहीं करें, वादीया को शांतिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवें। तहसीलदार विराटनगर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करे। पर्चा डिक्री तहरीर होवे।

निर्णय मजमा–ए–आम कैम्प कोर्ट बीलवाडी दिनांक 24.05.2018 को सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुबलिक ....शून्य............................ बाबत ....शून्य.................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरत ....शून्य.................. की सदी सलाना आज की तारीख बसूलयाबी तक ....शून्य..... का अदा करें। सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 24.05.2018** को जारी की गई।

मुद्दई	रूपया	मुद्दायलह	रूपया
स्टाम्प अरजी दावा		स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा		स्टाम्प अरजी	
स्टाम्प बजह सबूत		महन्ताना वकील	
महन्ताना वकील		खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान		फीस कमिश्नर	
फीस कमिश्नर		बबत इजराय	
बबत इजराय हुक्मनामा		हुक्मनामा	
		मुतजरिक	
मीजान	शून्य	मीजान	शून्य

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया। फीस दर्ज करना चाहिए।

(मुकेश कुमार मूंड) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर